उपायुक्त का कार्यालय,

जिला समाज कल्याण शाखा, लातेहार।

अल्प कालीन निविदा सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत समाजिक कुरीति निवारण योजना के तहत डायन प्रथा उन्मूलन हेतु प्रचार–प्रसार के लिए दिवार लेखन, पम्पलेट, फलैक्स, नुक्कड़ नाटक एवं जागरूकता रथ के माध्यम से माईकिंग का कार्य जिला अन्तर्गत किया जाना है, इस निमित प्रचार–प्रसार हेतु इच्छुक कम्पनी/फर्म से निविदा/प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है। निविदादाता मुहरबंद द्विलिफाफा प्रणाली **(Double Envelops System)** में निविदा/प्रस्ताव जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार के कार्यालय में दिनांक 09.02.2021 को 03:00 बजे अपराह्न तक जमा करेंगें तथा 09.02.2021 को 05:00 बजे पूर्वाह्न में उप विकास आयुक्त, लातेहार के अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। नियम एवं शर्ते लातेहार जिला के वेबसाइट **latehar.nic.in** से प्राप्त की जा सकती है।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
लातेहार

30/1/21

उपायुक्त,
लातेहार

उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार

(समाज कल्याण शाखा)

इच्छा की अभिव्यक्ति / अल्पकालीन निविदा सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत समाजिक कुरीति निवारण योजना के तहत डायन प्रथा उन्मूलन हेतु प्रचार-प्रसार के लिए दिवार लेखन, पम्पलेट, फलैक्स, नुक्कड़ नाटक एवं जागरूकता रथ के माध्यम से माईकिंग का कार्य जिला अन्तर्गत किया जाना है, इस निमित प्रचार-प्रसार हेतु मुहरबंद निविदा अधिकृत निबंधित प्रतिष्ठानों से आमंत्रित की जाती है।

निविदा मुहरबंद लिफाफों में जिला समाज कल्याण कार्यालय में दिनांक 09.02.2021 को 3:00 बजे अपराह्न तक सीलबन्द बक्से में डाले जायेगें।

प्राप्त निविदाएं दिनांक 09.02.2021 को 05:00 बजे ~~पूर्वाह्न~~ अपराह्न में समाहरणालय लातेहार परिसर स्थित उप विकास आयुक्त, लातेहार के कक्ष में जिला क्रय समिति एवं निविदादात्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी।

निविदा के साथ मुहरबंद लिफाफा एवं नमूना, पम्पलेट, फलैक्स तथा दिवार लेखन (रंगीन छाया चित्र) जमा करना होगा। "तकनीकी बीड" एवं "वित्तीय बीड" का अलग-अलग मुहरबंद लिफाफा जमा करना होगा जिस पर निविदादाताओं का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से दर्ज हो। उन निविदादाताओं का ही " वित्तीय बीड खोला जायेगा जो "तकनीकी बीड" में सफल होगें।

(क) " तकनीकी बीड" में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना होगा।

1. निविदा के साथ नमूना देना अनिवार्य होगा। बिना नमूना के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. प्रतिभूति राशि के रूप में 9000.00 (नौ हजार रू0) का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, लातेहार के पदनाम से समर्पित करना अनिवार्य होगा। यह राशि स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर अन्य को वापसी योग्य होगा।

3. निविदादाता को 03 वर्षो (2017-18,2018-19,2019-20) का आयकर रिटर्न, आधार कार्ड, पैन कार्ड का छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसका मूल प्रति निविदा निविदा निष्पादन की तिथि को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगा।

4. निविदादाता का GST निबंधित होना अनिवार्य होगा एवं अद्यतन GST Return की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

30.1.21

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
लातेहार

कंडिका (क)

क्र0सं0	सामग्री	साइज	अभियुक्ति
01	दिवार लेखन (चित्र सहित)	05X04	डिस्पले का प्रकार परियोजनाओं द्वारा प्राप्त चिन्हित स्थानों पर प्रति वर्ग फीट
02	मल्टीकलर पम्पलेट	A4	आर्ट पेपर 90 GSM प्रति अदद्
03	फलैक्स	10X05	प्रति वर्ग फीट
04	नुक्कड़ नाटक–स्थानीय भाषा में	–	02 कार्यक्रम प्रतिदिन
05	जागरूकता रथ माइकिंग सुविधा के साथ	–	प्रति दिन

5. एक निविदादाता/प्रतिष्ठान को सभी सामग्रियों का एक-एक नमूना प्रस्तुत करना होगा। एक से अधिक नमूना मान्य नहीं होगा। सभी नमूनों को प्रतिष्ठान के नाम के साथ सील कर देना होगा।

6. निविदादाता आवश्यक समाग्रियों की दर संलग्न सूची के कंडिका (क) के अनुसार उपलब्ध करायेगें।

7. निविदा में प्रस्तुत किये गए नमूना के अनुरूप ही आपूर्ति की गई सामग्री होनी चाहिए।

8. निविदा में अंकित दर के अतिरिक्त तथा सभी परियोजनाओं में आपूर्ति हेतु अतिरिक्त कोई हथालन या परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।

9. अनुभवी प्रतिष्ठानों को निविदा में प्राथमिकता दी जायेगी।

10. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

(ख) " वित्तीय बीड":–

1. " वित्तीय बीड" के लिफाफों के ऊपर स्पष्ट रूप से " वित्तीय बीड" अंकित करना अनिवार्य होगा।

2. " वित्तीय बीड" के लिफाफे में सभी सामग्रियों का दर सभी कर हथालन/ परिवहन व्यय सहित देना होगा।

3. अद्यतन Audited Balance Sheet संलग्न करना आवश्यक है।

4. निविदादाता इससे पूर्व सरकार के किसी सरकारी एजेंसी/संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव प्राप्त हो, झारखंड राज्य के स्थानीय निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी।

5. निविदादाता को इस बात का शपथ पत्र समर्पित करना होगा के पूर्व में किसी विभाग के आपूर्ति के क्रम में उनका फर्म का नाम अथवा उनका नाम काली सूची (Black List) में

30.1.21
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी

दर्ज नहीं है। साथ ही इस आशय का भी शपथ पत्र निविदा के साथ समर्पित करेगें कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

6. निविदा के उपरान्त निर्गत कार्यदेश के प्रतिकुल कार्य होने, निविदा के शर्तो का उल्लंघन अथवा कार्य के दौरान किसी भी तरह के कानूनी विवाद होने की स्थिति में निपटारे हेतु क्षेत्राधिकार माननीय व्यवहार न्यायालय, लातेहार का होगा।

7. अगर किसी कारणवश दिनांक 09-02-2021 को निविदा नहीं खोली जा सकेगी वैसी परिस्थिति में दिनांक 11-02-2021 को निविदा खोली जायेगी। इसके लिए अलग से निविदा प्रकाशन नहीं की जायेगी।

स्वीकृत निविदादाताओं को आपूर्ति आदेश के एक सप्ताह के अन्दर सभी सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत नमूना के आलोक में करना होगा। स्वीकृत नमूना से भिन्न एवं स-समय आपूर्ति नहीं किये जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्त्ता के फर्म को काली सूची में डालने तथा उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि को जब्त करने/ जुर्माना वसूलने को कार्रवाई की जायेगी।

बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकृत/ रदद् करने अथवा एक से अधिक निविदादाताओं के बीच क्रय समिति के अनुमोदनार्थ पर वितरित करने का अधिकार उपायुक्त, लातेहार को सुरक्षित होगा।

उपायुक्त,
लातेहार

30.1.21
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
लातेहार